

6/5  
24

पत्रावली पेशा वकील प्राची हाजिर। वकील  
प्राची में विवेक किया समस्त पत्र कारोके  
सम्मत हाजिर ही चुकी है। परन्तु कोई  
उचित नहीं अतः पूर्व प्रार्थनापत्र को  
गम्बर पुनः किया जाकर पुनर्वाई सिपावे।  
मैंने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थनापत्र।  
देखावे जो का आवलोकन किया व वकील  
वाली। प्राची में बहस पर मन्त्र किया व  
स्वील प्रक्रिया के बहिरी आदेश 9 नियम 9  
का आवलोकन किया उक्त आदेश 9  
क्रियम 9 में यह प्रावधान है कि जहां  
पाद नियम 8 में खारीज हो जाता है।  
तब उक्त खारीजी को अप्रत्यक्ष करने के लिए  
यही प्राची न्यायालय का समाधान कर

देता है कि जब वाड की सुगवर्ष के लिए पुनरपडी वी उस समय उलकी अनुपसंजाति के लिए प्रयात हेतु था तो -याथालय स्वर्षों या अ-घ बातों के ऐसे शर्तों पर जो वी वीत सभसे स्वारीजी को अप्राप्य नरें का आदेश करेगा!

मेरे पत्रावली के उपलिखत दस्तावेजों का केवलोक्त विषय जिले में स्वच्छ है कि पूर्व वाड 11/5/16 को -याथालय में दर्ज रजिस्टर करवाया था। परन्तु वाड स्वारीज होने की तारीख 20/7/17 तक वाडी के प्रतिवादीगण पर लामिल भी नहीं करवाई व धीरे-धीरे यह कारण कि वाडी अधिवक्ता उस दिन उपस्थित नहीं हो सका। मानने योग्य नहीं है कि वाड वापसी के लगभग 1 वर्ष तक भी प्रतिवादीगण पर लामिल नहीं करवाई गई अतः

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राप्ति द्वारा कोई संतोषजनक कारण -याथालय के सामने अपनी अनुपस्थिति हेतु नहीं पेश किया गया अतः नगरे पूर्व वाड के 1 वर्ष के ज्यादा समय तक लामिल न पेश कर -याथालय प्रविषा का अनुसरण नहीं किया गया अतः -याथालय का लामिल नहीं है। पर प्राप्ति पर सुझाव देकर पर

रेवाशीज क्रिया जाता है। पत्रावली फॉलम सुमार  
होकर नम्बर से कम है।

